वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. **आवेदन पत्र** :— छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम— 2012 अनुसार वनरक्षक हेतु निर्धारित उम्र, शैक्षणिक एवं शारीरिक अर्हताओं के आधार पर वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु आवेदन, विज्ञापन के माध्यम से संबंधित वनमंडलाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन/ ऑफलाईन (यथास्थिति) आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे, जिसके लिये परीक्षा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

2. **चयन समिति** :— वनरक्षक के पद पर सीधी भर्ती किये जाने के प्रयोजन हेतु चयन समिति का गठन संबंधित मुख्य वन संरक्षक, द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :—

(1) वनमंडलाधिकारी / उप निदेशक — अध्यक्ष

(2) मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामित सहायक वन संरक्षक से अनिम्न स्तर के दो अधिकारी — सदस्य

चयन समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। भर्ती का संचालन चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

3. शारीरिक नापजोख तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं नापजोख का रिकार्ड रखने के लिए चयन समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार, उप समितियां बनायेंगे, जिनमें कुछ सदस्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तथा कुछ सदस्य अन्य शासकीय विभागों से लिये जा सकेंगे, जिसकी संख्या वे स्व—विवेकानुसार निर्धारित करेंगे। उम्मीदवार का प्रदर्शन/ मूल्यांकन के रिकार्ड लेखन की प्रमाणिकता के लिए इस समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे तथा इन अभिलेखों पर वे अपने हस्ताक्षर करेंगे। चयन समिति उपयुक्त मामलों में नापजोख पुनः करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4. **आवेदन पत्रों की छानबीन** :— आवेदन पत्र की छानबीन करते हुये, समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। यथासंभव आवेदन पत्र लेने के बाद समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटराईज्ड होगी।

5. **शारीरिक माप का मान** :— प्रथम चरण के अन्तर्गत आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरान्त दस्तावेज सही पाये जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नापजोख, भर्ती नियम 8 के उपनियम (तीन) (ख) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जॉच को छोड़कर) किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता केवल नापजोख में सफल पाये गये अभ्यथियों को ही होगी।

शारीरिक प्रमाप	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
ऊंचाई	163 सेंटीमीटर	150 सेंटीमीटर
सीना सामान्य	79 सेंटीमीटर	—
सीने के न्यूनतम फुलाव	05 सेंटीमीटर	—

टीप :— 1. अनुसूचित जनजाति के लिये पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिये तथा महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होना चाहिये।

2. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाने संबंधी शर्तो को शिथिल किया जायेगा।

6. **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :—

(एक) शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य हैं, जो कुल 100 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होंगी।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क. 200 मीटर दौड़ — 25 अंक

ख. 800 मीटर दौड़ — 25 अंक

ग. लंबी कूद — 25 अंक

घ. गोला फेंक — 25 अंक

आइटम 'क' से 'घ' तक की स्पर्धा के लिए दिये जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

प्रतिस्पर्धा	पुरूषों के लिए	अंक	महिलाओं के लिए	अंक
	समय/नाप		समय/नाप	
200 मीटर दौड़	24.50 सेकण्ड या कम	25	28.50 सेकण्ड या कम	25
(1 प्रयास)	24.51 सेकण्ड से 25.50 सेकण्ड तक	20	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	20
	25.51 सेकण्ड से 27.00 सेकण्ड तक	15	30.01 सेकण्ड से 31.50 सेकण्ड तक	15
	27.01 सेकण्ड से 28.50 सेकण्ड तक	10	31.51 सेकण्ड से 33.00 सेकण्ड तक	10
	28.51 सेकण्ड से 30.00 सेकण्ड तक	5	33.01 सेकण्ड से 34.50 सेकण्ड तक	5
	30.01 सेकण्ड या अधिक	0	34.51 सेकण्ड या अधिक	0
800 मीटर दौड़	2 मिनट 10 सेकण्ड या कम	25	3 मिनट या कम	25
(1 प्रयास)	2 मिनट 10.01 सेकण्ड से 2 मिनट 20 सेकण्ड तक	20	3 मिनट 0.01 सेकण्ड से 3 मिनट 10 सेकण्ड तक	20
	2 मिनट 20.01 सेकण्ड से 2 मिनट 30 सेकण्ड तक	15	3 मिनट 10.01 सेकण्ड से 3 मिनट 25 सेकण्ड तक	15
	2 मिनट 30.01 सेकण्ड से 2 मिनट 45 सेकण्ड तक	10	3 मिनट 25.01 सेकण्ड से 3 मिनट 40 सेकण्ड तक	10
	2 मिनट 45.01 सेकण्ड से 3 मिनट तक	5	3 मिनट 40.01 सेकण्ड से 4 मिनट तक	5
	3 मिनट 00.01 सेकण्ड या अधिक	0	4 मिनट 00.01 सेकण्ड या अधिक	0
लंबी कूद	5.50 मीटर या अधिक	25	4.25 मीटर या अधिक	25
(3 प्रयास)	5.25 मीटर से 5.49 मीटर तक	20	4 मीटर से 4.24 मीटर तक	20
	4.75 मीटर से 5.24 मीटर तक	15	3.50 मीटर से 3.99 मीटर तक	15
	4.25 मीटर से 4.74 मीटर तक	10	3 मीटर से 3.49 मीटर तक	10
	3.75 मीटर से 4.24 मीटर तक	5	2.50 मीटर से 2.99 मीटर तक	5
	00 मीटर से 3.74 मीटर तक	0	00 मीटर से 2.49 मीटर तक	0
गोला फेंक	9 मीटर या अधिक	25	8 मीटर या अधिक	25
गोले का वजन—	8 मीटर से 8.99 मीटर तक	20	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	20
पुरूष—7.26	7 मीटर से 7.99 मीटर तक	15	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	15
किलो	6 मीटर से 6.99 मीटर तक	10	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	10
महिला—4 किलो	5 मीटर से 5.99 मीटर तक	5	4 मीटर से 4.99 मीटर तक	5
(3 प्रयास)	00 मीटर से 4.99 मीटर तक	0	00 मीटर से 3.99 मीटर तक	0

शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रत्येक स्पर्धा में न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जायेगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जायेगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जायेगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता तथा पारदर्शिता के लिये बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

(दो) लिखित परीक्षा :— शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) जाति/वर्गवार तैयार की जायेगी तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाये। लिखित परीक्षा कुल 100 अंको की होगी तथा इसकी अवधि 02 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे, जो वस्तुनिष्ट प्रकार के होगें। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त/ अधिकृत अन्य एजेंसी के द्वारा कराया जा सकता है।

(तीन) पैदल चालन परीक्षा :— प्रवीण्यता सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरूष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नही होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि एवं समय पर पैदल चाल परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो पूर्व सूचना देने की स्थिति में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुपस्थिति के कारण के गुणदोष के आधार पर इस परीक्षा हेतु अन्य अवसर दिया जा सकेगा।

7. बोनस अंक :—

उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिये जायेंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे।

क. एन.सी.सी का **'सी' सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी—ग्रेड** का प्रमाणपत्रधारी

ख. **राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण्यता**— केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, की

i. टीप स्पर्धा में केवल **विजेता एवं उप विजेता** एवं

ii. व्यक्तिगत् स्पर्धा में **प्रथम 3 स्थान** प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक की पात्रता होगी।

8. **चयन सूची** :— कुल पूर्णांक 200 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा — 100 अंक, लिखित परीक्षा — 100 अंक एवं बोनस अंक — 10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, बोनस अंकों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर वर्गवार मेरिट क्रम में सूची बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/ अजजा/ अपिवर्ग) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी योग्यता भी पूरी करते हैं, **किन्तु आरक्षित वर्ग (अजा/ अजजा/ अपिवर्ग) के वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी आयु में छूट का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अपने—अपने वर्ग की सूची में स्थान प्राप्त करेंगे।** शेष अभ्यर्थियों में से अजा, अजजा, अपिवर्ग के अभ्यर्थियों की उनके अपने—अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के लिये पृथक—पृथक सूचियां तैयार की जायेगी।

महिलाओं के लिये आरक्षित पदों के लिये पृथक सूचियां तैयार की जायेगी, किन्तु महिलाओं का आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलायें उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित नहीं किये जायेंगे, अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगी उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

रिक्त पदों के 25 प्रतिशत उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जो कि चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य होगी।

9. राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता प्रमाण पत्र प्राप्त उम्मीदवारों की चयन सूची :— राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में प्रवीणता वाले उम्मीदवारों हेतु पदों की संख्या पृथक से विज्ञापित की जायेगी जो स्वीकृत पदों के 03 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ओलंपिक एशियाई खेल एवं अखिल भारतीय वन खेल से संबंधित जिस खेल विधा में वनरक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाना है, उसका विज्ञापन में उल्लेख भी किया जायेगा तथा उस विधा के खिलाड़ियों के साथ खुली स्पर्धा में परीक्षण प्रतियोगिता खेल विशेषज्ञों के निर्देशन में कराई जायेगी तथा विशेषज्ञ की अनुशंसा पर चयन क्रम का निर्धारण किया जायेगा।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

10. **चयन सूची का अनुमोदन :–**

क. शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात् चयन सूची (अंतिम प्रवीण्यता सूची) तत्काल तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आवश्यक रिकार्ड के साथ संबंधित मुख्य वन संरक्षक को अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी।

ख. मुख्य वन संरक्षक, प्रथम उपलब्ध अवसर पर परंतु किसी भी दशा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे।

ग. मुख्य वन संरक्षक चयन सूची के अनुमोदन के समय परीक्षण करेंगे कि

i क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?

ii. क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?

iii. भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो?

vi. कोई अन्य स्वस्पष्ट चूक या त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है?

घ. अप्रमाणित शिकायतों अथवा जनचर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

ड. चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जायेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जायेगी। मुख्य वन संरक्षक पुनः मूल्यांकन अथवा पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दे सकेंगे। अनुमोदन के पूर्व मुख्य वन संरक्षक सभी आवश्यक रिकार्ड परीक्षण हेतु बुला सकेंगे ।

11. **चयन सूची से नियुक्ति :–**

मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित सूची सेवा में नियुक्ति हेतु वनमंडलाधिकारी को अग्रेषित की जायेगी। वनमंडलाधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश चयन सूची में वरिष्ठता के क्रम में जारी किये जायेंगे। चयन सूची अनुमोदन के दिनांक से 12 माह तक प्रभावशील रहेगी।

एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निश्चित की जायेगी। अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरिष्ठ माना जायेगा। यदि प्राप्तांक व जन्मतिथि समान हो
तो उम्मीदवारों की हायर सेकेन्डरी परीक्षा (10+2) के प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। चयनित सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होने पर ही उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। सेवा में उपस्थिति लेने के पूर्व उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। उपस्थिति उपरान्त चरित्र सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप होने पर सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी, ऐसे चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि कोई चयनित उम्मीदवार जिसे परीवीक्षा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, दिये गये दिनांक तक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर प्रावीण्य सूची के अगले क्रम पर उपलब्ध उम्मीदवार को नियुक्ति दी जायेगी।

12. **सामान्य निर्देश**

भर्ती का सभी रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा। यह रिकार्ड भर्ती होने के एक वर्ष बाद ही नष्ट किया जावेगा, वो भी तब, जब भर्ती के संबंध में कोई जाँच न चल रही हो या प्रस्तावित नहीं हो।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर